[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
सं0 01/2018-सीमा शुल्क(एसजी)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई, 2018

सा.का.नि.- (अ) जबकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 8541 अथवा टैरिफ मद 8541 40 11 के अंतर्गत "सोलर सेल्स चाहे वे मॉड्यूल्स या पैनल्स में जोड़े गए हों अथवा नहीं" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तुओं के रूप में सदर्भित किया गया है), के आयात के मामले में व्यापार उपचार महानिदेशालय ने अपने अंतिम निष्कर्षों फा0 सं0.22/1/2018-डीजीटीआर, दिनांक 16 जुलाई, 2018, जो कि भारत के राजपत्र भाग-।, खंड-1 में दिनांक 16 जुलाई, 2018 को प्रकाशित किए गए थे, में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 8541 अथवा टैरिफ मद 8541 40 11 के अंतर्गत आने वाली विषयगत वस्तुओं पर 2 वर्ष के लिए रक्षोपाय डयूटी नीचे निर्दिष्ट दर पर लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अब अत: सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय डयूटी की पहचान और निर्धारण) नियमावली 1997 के नियम 12, 14 और 17 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, व्यापार उपचार महानिदेशालय के उक्त निषकर्षों पर विचार करने के पश्चात और पैरा 2 के प्रावधानों के अधीन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 8541 अथवा टैरिफ मद 8541 40 11 के अंतर्गत आने वाली विषयगत वस्तुओं, जब वे भारत में आयात की जाती हैं तो उन पर निम्नलिखित दर से एतत द्वारा रक्षोपाय शुल्क लगाती है, अर्थात:-

(क) 30 जुलाई, 2018 से 29 जुलाई, 2019 (इसमें दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के दौरान भारत में आयात किए जाने पर 25 प्रतिशत यथा मूल्य में से देय प्रतिपाटन शुल्क यदि कोई हो, को घटाकर;

(ख) 30 जुलाई, 2019 से 29 जनवरी, 2020 (इसमें दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के दौरान भारत में आयात किए जाने पर 20 प्रतिशत यथा मूल्य में से देय प्रतिपाटन शुल्क यदि कोई हो, को घटाकर; और

(ग) 30 जनवरी, 2020 से 29 जुलाई, 2020 (इसमें दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के दौरान भारत में आयात किए जाने पर 15 प्रतिशत यथा मूल्य में से देय प्रतिपाटन शुल्क यदि कोई हो, को घटाकर ।

2. इस अधिसूचना में विहित कोई भी बात, चीन जनवादी गणराज्य और मलेशिया के अलावा, दिनांक 05 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं0 19/2016-सीमा शुल्क(एनटी) में विकासशील देशों के रूप में अधिसूचित देशों से होने वाले विषयगत वस्तुओं के आयात पर लागू नहीं होगी ।

(फा0 सं0 354/31/2018-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार